



LANDMARK RULING

अमेरिकी न्यायाधीश ने कहा, गूगल को क्रोम बैचने की ज़रूरत नहीं है।

WORLD » PAGE 14



DGCA PLAN

हवाई अड्डे व्हीलचेयर के उपयोग पर शुल्क ले सकते हैं।

NEWS » PAGE 12

MISSING TRANSPARENCY

न्यायाधीश की असहमति को छिपाना न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति पर आपत्तियां क्यों दबाई जा रही हैं?

EDITORIAL » PAGE 6



HONOURS EVEN

मनदीप के गोल से भारत ने डॉ हासिल किया खेलों पृष्ठ 15

IN BRIEF



नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में 8,000 से अधिक लोगों को निकाला गया।

NEW DELHI

राष्ट्रीय राजधानी के छह जिलों के 8,000 से अधिक लोगों को बाढ़ राहत शिकियों में स्थानांतरित किया गया क्योंकि युग्मन नदी का जलस्तर बुधवार को भी बढ़ाता रहा। » Page 2

मराठा आरक्षण विवाद: ओवीसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी।

MUMBAI

मराठा आरक्षण विवाद बुधवार को और बढ़ गया जब ओवीसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी और वरिष्ठ वर्षाओं ने एंटी मंत्री घुजलत से घोषणा की कि वह प्रत्र मराठा को कुनौनी जाति प्रमाण प्रदान करेंगे। » Page 4

जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर से प्रभावी दो-दर कर स्लैब को मंजूरी दी।

सरकार ने स्लैब को 5% और 18% पर बरकरार रखा; तंबाकू और विलासिता की वस्तुओं जैसे सामानों के लिए 40% की 'विशेष' दर लागू की; जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसियों पर कर हटाया; इस कदम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, जीवन रक्षक दवाओं, सीमेंट की कीमतों में कमी आने की संभावना

The Hindu Bureau

NEW DELHI

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में कर दोनों को केंद्र सरकार के प्रस्ताव के ऊपर सुधारक दो-दर प्रणाली में बदलने का निर्णय लिया है।

5% और 18% की दो दरों के अलावा, नई जीएसटी प्रणाली में तंबाकू और निकारक वस्तुओं और बड़ी कारों, नीकाओं और हेलीकोप्टर जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 40% की "विशेष दर" भी शामिल होगी।

उन्होंने कहा कि ये निर्णय अधिकांश वस्तुओं पर 22 सितंबर से लागू होंगे। केवल तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उपयोग पर ही वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित तिथि पर नए दोनों में शामिल होंगे।



सुशी जारी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बात करती हुई।

सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2023-24 में उपयोग के पैटर्न के आधार पर, व्याज दरों में कटौती का शुद्ध राजकोषीय प्रभाव ₹ 48,000 करोड़ होगा। हांसाँकैं, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वास्तविक प्रभाव वर्तमान उपयोग के आधार पर ही पता चलेगा, और दोनों को युक्तिसंगत बनाने से उत्साहवर्धक प्रभाव और बेहतर अनुपालन की

होगा। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों को भी लाभ होगा।"

उन्होंने कहा कि आम इस्तेमाल और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर कर में कमी आएगी, जैसे कि हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टॉबॉक्स, टूथपेस्ट, साइकिल, टेब्लन और रसोइ के बर्बन, और अन्य घरेलू सामान, जिनकी कर दर 18% या 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। 5% की दर से नीचे आने वाली अन्य वस्तुओं में नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और मक्खन शामिल हैं। बारह निर्दिष्ट जैव-कीटोनाशक, जैव-मेन्टैल, और श्रम-प्रधान वस्तुएं जैसे नूडल्स, चॉकलेट ब्लॉक और चमड़े के सामान, 12% से घटाकर 0% हो जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 5% ही रहेगी।

कर दी जाएगी।

भारतीय ब्रेड पर कोई दर नहीं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उच्च तपामान वाले दध, पीरी और रोटी और पराठे सहित सभी भारतीय ब्रेड पर कर की दर पहले के 5% से घटकर 0% हो जाएगी।

बीमा सेवाओं, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर कर की दर 18% से घटकर 0% हो जाएगी। कुल 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कर की दर 12% से घटकर 0% हो जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 5% ही रहेगी।

CONTINUED ON

» PAGE 10

KEY REDUCTIONS

» PAGE 10

राज्यपालों को विधेयकों पर 'तुरंत' कार्रवाई करनी चाहिए: राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी

राज्यपाल वर्षों तक विधेयकों पर अटके रहकर संघर्ष पैदा करते हैं। विधेयकों की संवैधानिकता पर उनका संदेह एक भ्राति है।

कपिल सिंधल परिचय बागल के लिए वकील

राज्यपालों को राज्य सरकार की सलाह पर काम करना होता है। शासन निरंतर संघर्ष की स्थिति में नहीं चल सकता। गोपन सुप्रीम कोर्ट के वकील

राज्यपाल शासित राज्यों ने बुधवार को सोरोच्च न्यायालय में दलील दी कि तमिलनाडु के राज्यपाल मासिनी में दिए गए फैसले में दी गई नीति मूल्यों की समय-सीमा भी बढ़त लंबी हो सकती है, और राज्यपालों के समक्ष प्रस्तुत राज्य विधेयकों को इन "शीर्षक प्रमुखों" द्वारा तुरंत स्वीकृत किया जाना चाहिए।

पश्चिम बागल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों में जनता की दिल्ली को राज्यपालों की सनक और मनमोहनी की बलि नहीं ढाया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधेयकों पर रोक लगाकर बैठना, स्वीकृति देने से इनकार करने का एक छिपा हुआ बहाना है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित कानूनों को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस करना ज़रूरी नहीं है।

तीनों राज्यों ने कहा कि अगर केंद्र चाहता है कि वे यह मानकर करें कि राज्यपाल जैसा उच्च संवैधानिक प्राधिकारी विधेयकों पर विचार करते समय इमानदारी से काम करेगा, तो वही शिशुचार राज्य विधानमंडल के प्रति भी होना चाहिए, जो भी उच्च संवैधानिक प्राधिकारी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. पश्चिम बागल की ओर से वरिष्ठ अधिकारी कपिल सिंधल ने गवर्नर की दिलील का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानूनों में जनता की दिल्ली को राज्यपालों की सनक और मनमोहनी की बलि नहीं ढाया जा सकता।

श्री सिंधल ने "यथाशीदा" का अर्थ "तुरंत या तत्काल" बताया। उन्होंने कहा, "तत्काल" शब्द राज्यपालों और राज्याधीतों को वास्तव में केंद्र सरकार है, पर भी लागू होना चाहिए, जो वे व्यक्तियों के द्वारा नहीं रखा जाता।" राज्यपालों को विधेयकों की संवैधानिकता के लिए बाल उठाना की ओर अधिकार नहीं है। यदि विधानमंडल उन्हें पूर्ण पारित करता है, तो उन्हें स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बाद में, जब विधेयकों को कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो नागरिक अदालत में उनकी संवैधानिकता की जाँच कर सकते हैं।

उन्होंने अनुच्छेद 167 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके अनुसार राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विचाराधीन कानूनों से राज्यपाल की अवगत कराना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यह वूच-विधायी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाता है।

विधेयकों को विधेयकों पर कर की दर लगाने की विधेयकों की दिलील का बातचीज के लिए विधानमंडल के लिए विधानमंडल द्वारा पारित हो जाएगा, तो राज्यपाल द्वारा अपनी स्वीकृति दिए जाने की उम्पीद है।

इसके अलावा, श्री सिंधल ने संविधान के अनुच्छेद 254(2) के उस प्रावधान की ओर इशारा किया जो संसद को किसी भी अप्रिय राज्य कानून को "जोड़कर, संशोधित करके, परिवर्तित करके या निरस्त करके" निष्प्रभावी करने की अनुमति देता है।

CONTINUED ON

» PAGE 10

उत्तरी राज्यों में भारी बारिश से दर्जनों लोगों की मौत

उत्तर भारत के राज्यों में बुधवार को भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी रहा, जिस

केरल HC: ग्लोबल अयप्पा संगमम का नाम स्पष्ट करें

केरल उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर को पम्पा नदी के तट पर आयोजित होने वाले वैश्विक अयप्पा संगमम पर स्पष्टता मांगी है।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की पाठी ने बुधवार को त्रावणकोर देवखोम बोड (टीडीबी) और अन्य हितधारकों को मौखिक रूप से इस आयोजन की प्रकृति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि टीडीबी का आशय केवल अयप्पा से नहीं था। अदालत ने कहा, "अगर यह आयोजन टीडीबी द्वारा आयोजित किया जा रहा था, तो इसे वैश्विक अयप्पा संगमम क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए भक्तों के संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। टीडीबी द्वारा आयोजित कोई भी आयोजन आधारितिक और धार्मिक होना चाहिए।" साथ ही, पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में भी आगाह किया।

अदालत की यह टिप्पणी वकील अनीश कलाथिल गोपी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आई, जिसमें राज्य सरकार और टीडीबी को इस आयोजन के आयोजन से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

आईएचसी (IHC) ने क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद प्रदान करने के लिए शृंखला शुरू की

इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) ने बुधवार को अपने रेस्टोरेंट में भारत के विभिन्न सास्कृतिक और पाक-कला संबंधी त्योहारों का जश्न मनाने के लिए "उत्सव" नामक एक शृंखला शुरू की। आईएचसी ने ओणम उत्सव मनाने की पहल की शुरुआत की और 3 से 5 सितंबर तक ऐन रेस्टोरेंट में पारंपरिक साध्या का आयोजन कर रहा है। रेस्टोरेंट की योजना साल भर के त्योहारों जैसे बैसाखी, बिहू, उगादि और दिल्ली के स्ट्रीट फूड से जुड़े क्षेत्रीय व्यंजन परोसने की है।

📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

 **कृपया इस वेबसाइट <https://epapers.netlify.app/> को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।**

 **लक्ष्य: जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!**

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!

CLICK HERE 

 धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

 **कृपया इस वेबसाइट <https://epapers.netlify.app/>** को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

 **लक्ष्य:** जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!

CLICK HERE 

 **धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!**

राजस्थान में विपक्ष के विरोध के बीच कोचिंग सेंटरों पर अंकुश लगाने के लिए संशोधित विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विपक्षी कांग्रेस के विरोध के बीच कोचिंग सेंटरों के नियंत्रण और नियमन पर एक संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर छात्रों के हितों से समझौता करने और "कोचिंग माफिया" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

यह विधेयक इस वर्ष मार्च में पेश किया गया था और एक प्रवर समिति को भेजा गया था।

1 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पेश की गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं नियमन) विधेयक, 2025 में कुछ बदलाव किए गए।

संशोधित विधेयक में जुमनी की राशि कम कर दी गई है और इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों के दायरे को सीमित कर दिया गया है। मूल विधेयक में 50 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव था, जबकि संशोधित संस्थानों में यह संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। जुमनी की संरचना में बदलाव किया गया है और पहली बार अपराध करने पर ₹50,000, दूसरी बार अपराध करने पर ₹2 लाख और उसके बाद उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

'उद्योगों को विनियमित करेगा'

तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि यह विधेयक कोचिंग केंद्रों की जावाबदेही सुनिश्चित करेगा और उद्योग को विनियमित करने में मदद करेगा।

कांग्रेस विधेयकों ने विधेयक का विरोध किया और कहा कि भाजपा सरकार कोचिंग संस्थानों के हाथों में खेल रही है। विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को कोचिंग केंद्रों में दाखिला लेने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है।

अंगदान के लिए दस्तावेजी सबूतों से दोस्ती कैसे साबित हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

दस्तावेजी साक्षों के जरिए दोस्ती कैसे साबित की जा सकती है, इस पर सवाल उठाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने असंबोधित अंगदानों को विनियमित करने के लिए गठित एक प्राधिकरण समिति द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पारिवारिक मित्र होने का दावा करने वाले दो व्यक्तियों के बीच गुर्दा प्रत्यारोपण की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने पाया कि समिति ने केवल इरोड कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इरोड निवासी दाता सी. गणेश और तंजावुर निवासी प्राप्तकर्ता वी. पेरियासामी ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे कि वे पारिवारिक मित्र हैं।

उद्दीपने लिखा, "यह समझ से परे है कि पारिवारिक मित्र दस्तावेजों के जरिए अपने रिश्ते कैसे साबित कर सकते हैं। दोस्तों से जुड़े रिश्ते में भावनाएँ अहम भूमिका निभाती हैं, और यह दस्तावेजों से तय नहीं होती। इसलिए, कलेक्टर द्वारा जिस आधार पर रिपोर्ट दी गई है, उसमें ठोस तर्क का अभाव है।"

नियम क्या कहते हैं?

न्यायाधीश ने बताया कि मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, गैर-निकट रिश्तेदारों के बीच अंग प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। न्यायाधीश ने कहा, "यह केवल इस बात पर जोर देता है कि ऐसे दान प्रेम और स्नेह से किए जाने चाहिए, दानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच किसी भी वित्तीय लेन-देन में शामिल नहीं होना चाहिए।" न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा, "कानून यह भी जोर देता है कि दानकर्ता पर कोई दबाव/ज़रूरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। इस अधिनियम का उद्देश गरीबों और वंचितों के शेषण को रोकना और यह सुनिश्चित करना था कि मानव अंगों के प्रत्यारोपण के लिए पैसा ही एकमात्र मानदंड न बन जाए।"

न्यायाधीश ने कहा, "इसमें पैचीदा सवाल यह है कि दानकर्ता और दान प्राप्तकर्ता के निकट संबंधी न होने की स्थिति में यह कौन साबित करेगा कि कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ है।" उद्दीपने आगे कहा कि दानकर्ता और प्राप्तकर्ता से केवल यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे यह दावा करें कि कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं हुआ था।

उत्तराखण्ड के नैना देवी मंदिर में पशु बलि की अनुमति मिलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

Ishita Mishra
NEW DELHI



Kindling the faith: Devotees at the Naina Devi temple in Nainital, Uttarakhand. SPECIAL ARRANGEMENT

Amid large-scale devastation in Uttarakhand due to heavy rain and flash floods that have resulted in the deaths of over 100 people and damage estimated ₹5,000 crore, devotees have been returning to Nainital's Mall Road to worship their patron deity, Nanda Devi, at the annual Naina Devi temple fair.

The event has come under scrutiny this year following the Uttarakhand High Court's order last week, which allowed animal sacrifice during the week-long fair in view of the representation from a local resident.

More than 100 goats have been brought to the festival since then.

Nanda Devi is a manifestation of Goddess Parvati,

the consort of Shiva, explains Lalit Tiwari, the head of Kumaun University's Botany Department and spokesperson for Ram Sewak Sabha, the trust that has been organising the fair since 1926.

"Nanda Devi is our patron deity. She is our mother and our protector," says

Mr. Tiwari.

He describes the fair as a "dynamic blend of biodiversity, spirituality and music" and a source of employment for local artisans. The event takes place at Nainital's famous Naina Devi temple for around a week, starting from 'ashadhi', the eighth day, of 'bhau-

drapad', a month in the Hindu calendar.

This year, the fair began on August 28. Similar fairs are also held in other parts of the State, but not on the same scale.

"The local artisans use banana trees to craft idols of the goddess, which are decorated with flowers and spices. The idol is subsequently carried around the town on a palanquin, after which it is immersed in water," the trust spokesperson says.

He adds that the fair attracts people from all walks of life, including those from various castes and communities.

Age-old ritual

Apart from its culture, food and crafts, the fair also draws visitors due to its age-old animal sacrifice ritual. Offerings such as

goats and buffaloes are often made to mark the fulfilment of vows made to Nanda Devi.

Part of Hindu culture'

Bhagwati Prasad Joshi, the chief priest at the temple who also performs the sacrificial rituals, says, "Bali (animal sacrifice) has been part of the Hindu culture since time immemorial. In many cases, such as at the Nanda Devi fair, the sacrificed animal is consumed by the devotees as prasad (sacred food)."

The priest explains that animals earmarked for sacrifice are fed and bathed before the ritual, after which holy water and sacred rice are sprinkled over them.

"Only the animals that react when holy water and rice are sprinkled over them are considered fit for

sacrifice," he adds.

BJP leader and lawyer Nitin Karki says that the annual ritual was "stopped" in the hill town after a 2010 High Court order based on a plea by an animal rights activist. The court passed a similar order in 2016, he adds. While the orders did not explicitly ban the slaughter of animals, they directed that the sacrifice take place at a slaughterhouse in adherence to a recent order by the High Court prohibiting the sacrifice of animals within the temple premises.

However, with a paucity of approved abattoirs in the vicinity, the orders effectively limited the ritual of animal sacrifice, Mr. Karki adds.

On August 28, a day before the festival was set to start, the court allowed the sacrifice with similar restrictions based on a plea by a resident, Pawan Jatav, against the government sub-

mitted that preventing the practice altogether could result in a "law and order situation".

The local civic body has appointed a veterinary doctor, Hema Rathore, outside the Naina Devi temple, whose job is to register every animal entering the premises and ensure that it returns alive in adherence to a recent order by the High Court prohibiting the sacrifice of animals within the temple premises.

Following clearance by Ms. Rathore, a constable herds the goats to a nearby abattoir. The meat is then distributed among the devotees, says Kamal Jagati, a journalist who has been working in Nainital for over two decades.

On August 28, a day before the festival was set to start, the court allowed the sacrifice with similar restrictions based on a plea by a resident, Pawan Jatav, against the government sub-

हिंदी में सारांश

उत्तराखण्ड के नैनीताल में वार्षिक नैना देवी मंदिर मेला विनाशकारी मानसून के मौसम के बीच आयोजित हुआ है, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अनुमानत 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आयोजन, जो संरक्षक देवी नंदा देवी (देवी पांचती का एक रूप) को समर्पित करता है, पशु बलि के पुनः प्रारंभ होने के कारण जांच के दायरे में आ गया है। हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, जिसने प्रतिबंधों के साथ अनुष्ठान की अनुमति दी, उत्सव में 100 से अधिक बकरियां लाई गई हैं। हिंदू संस्कृति का एक पुराना हिस्सा मानी जाने वाली इस प्रथा में जानवरों की बलि दी जाती है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में खाया जाता है। हाल ही में जानवरों की बलि दी जाती है, और इसे एक अनुमोदित बूचड़खाने में अनिवार्य कर दिया जाता है, फिर भी यह अनुष्ठान एक विवादास्पद मुद्दा बना दुआ दिया जाता है।

Text & Context

THE HINDU

NEWS IN NUMBERS

जावा, इंडोनेशिया में विशाल समुद्री दीवार परियोजना की लागत

80 अरब डॉलर में। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जावा के उत्तरी तट पर एक विशाल समुद्री दीवार बनाने की योजना पर चर्चा की, जिसे विशाल समुद्री दीवार परियोजना के नाम से जाना जाता है। जकार्ता का अनुमान है कि इस जलवायु परियोजना को पूरा होने में 15 से 20 साल लगेंगे। रॉयटर्स

तमिलनाडु में तस्करी की गई सिगरेट और शराब का मूल्य नष्ट कर दिया गया।

महाराष्ट्र में जब्ल की गई¹
भारतीय निर्मित विदेशी
शराब की कीमत

1.34 करोड़ रुपये में। आबकारी विभाग ने महाराष्ट्र के ठाणे में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) जल्क की और अवैध परिवहन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गोवा में निर्मित 1,400 पेटी शराब बरामद की। पीटीआई

COMPILED BY THE HINDU DATA TEAM

Follow us  facebook.com/thehindu  X.com/the_hindu  instagram.com/the_hindu

क्या आरक्षण 50% की सीमा से अधिक होना चाहिए?

संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 क्या गारंटी देते हैं? औपचारिक और वास्तविक समानता में क्या अंतर है? क्या आरक्षण अवसर की समानता के विचार का अपवाद है या उसकी निरंतरता? क्या आरक्षण के लाभ ओबीसी, एससी और एसटी की विशेष उपजातियों तक ही सीमित हैं?

EXPLAINER

Rangarajan R.

अब तक की कहानी:
 बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उनका गठबंधन आरक्षण को बढ़ाकर 85% कर देगा। एक अन्य घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच आरक्षण के लिए 'कीमी लेयर' जैसी 'व्यवस्था' लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

संवैधानिक प्रावधान क्या है?
अनुच्छेद 15 और 16 राज्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सहित) और सार्वजनिक रोजगार में क्रमशः सभी नागरिकों की समानता की गारंटी देते हैं। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए, ये अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), SC और ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देते हैं। केंद्रीय स्तर पर आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त सारांश तालिका में दिया गया है। वर्तमान में केंद्र में आरक्षण इस प्रकार है - ओबीसी (27%), एससी (15%), एसटी (7.5%) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10%, जिसके परिणामस्वरूप कुल आरक्षण 59.5% है। आरक्षण का प्रतिशत राज्यों की जनसांख्यिकीय स्थिति और नीतियों के अनुसार अलग-अलग होता है।

अदालतों ने क्या फैसला दिया है?
यह मुद्दा समानता के दो स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी पहलुओं - औपचारिक और वास्तविक - के कारण उत्पन्न होता है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 'उचित सीमा के भीतर' होना चाहिए और इसे समग्र रूप से समुदाय के हितों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे फैसला दिया कि आरक्षण के ऐसे विशेष प्रावधान 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। इसे औपचारिक समानता के समर्थन के रूप में देखा जाता है जहाँ आरक्षण को अवसर की समानता के अपवाद के रूप में देखा जाता है और इसलिए यह 50% से अधिक नहीं हो सकता।

दूसरी ओर, मूलभूत समानता इस विश्वास पर आधारित है कि औपचारिक समानता उन समूहों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्हें अतीत में विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और अल्पप्रतिनिधित्व वाले रहे हैं। केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1975) मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने मूलभूत समानता के पहलू पर विचार किया था। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अवसर की समानता का अपवाद नहीं है, बल्कि उसी का एक दावा और निरंतरता है। हालाँकि, चौंकि 50% की अधिकतम सीमा न्यायालय के समक्ष कोई प्रश्न नहीं थी, इसलिए उसने इस मामले में इस पहलू पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं दिया।

इंद्रा साहनी मामले (1992) में, नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। इसने कहा कि भारतीय सदर्भ में जाति वर्ग का निर्धारक है। इसके अलावा, अवसर की समानता को बनाए रखने के लिए, इसने बालाजी मामले में निर्धारित आरक्षण के लिए 50% की अधिकतम सीमा की पुनः पुष्टि की, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियाँ न हों। न्यायालय ने ओबीसी के भीतर क्रीमी लेयर को भी बाहर रखने का प्रावधान किया। जनहित अभियान मामले (2022) में, न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडल्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की सर्वैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि आर्थिक मानदंड आरक्षण का आधार हो सकते हैं और यह भी कहा कि इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित 50% की सीमा पिछड़े वर्गों के लिए थी, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण अनारक्षित समुदायों के बीच एक अलग श्रेणी के लिए है।



महत्वपूर्ण क्षण: महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को स्वीकार करने के बाद मराठा समुदाय के सदस्य जश्न मनाते हुए, जिसमें मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है, जिससे वे ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभों के पार बनेंगे, 2 सितंबर को मुंबई में। [पीटीआई](#)

आरक्षण की यात्रा

केंद्रीय स्तर पर आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त सारांश

वर्ष	मुख्य विकास
1950 और 1951	संविधान का प्रारंभ और पहला संशोधन - ओबीसी, एससी और एसटी की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में सक्षम प्रावधान
1982	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% निर्धारित किया गया
1990	मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की शुरुआत
2005	93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिससे निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण संभव हो गया।
2019	103वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, जिससे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में अनारक्षित वर्ग के बीच इंटर्लिंगाप्स के लिए 10% तक आरक्षण संभव हो गया।

यह भी आशंका है कि ऐसी लंबित रिक्तियाँ आगे चलकर अनारक्षित सीटों में बदल सकती हैं, जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके उचित अवसरों से वंचित दौरा पाना सकता है।

आगे क्या हो सकता है? अवसर की समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आरक्षण में 85% तक की वृद्धि को इस अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है पिर भी, वंचितों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से ठोस समानता आवश्यक है 2027 में होने वाली जनगणना के अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर, जिसमें पिछड़ी जातियों की भी गणना की जाएगी, आरक्षण के उपयुक्त स्तर पर पहुँचने के लिए सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जनगणना के आँकड़ों पर आधारित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच उप-वर्गीकरण को लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में माँग की गई है, एक 'दो-स्तरीय' आरक्षण प्रणाली पर विचार किया जा सकता है। ऐसी योजना के तहत, उन समुदायों के अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को शामिल करने से पहले, अधिक हाशिए पर पढ़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण का लाभ आने वाली पौंडियों में वंचितों में सबसे हाशिए पर

यह भी ध्यान में रखना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और हमारे देश की युवा आबादी को देखते हुए, आरक्षण की कोई भी योजना समाज के एक बड़े वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगी। उपयुक्त कौशल विकास तंत्र प्रदान करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए जो हमारे युवाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में

रंगराजन, आर. एक पूर्व आईएएस अधिकारी और 'कोसवियर ऑन पॉलिटी सिल्वीफाइड' के लेखक हैं। वह वर्तमान में ऑफिसर्स आईएएस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

THE GIST

अनुच्छेद 15 और 16 राज्य द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सहित) और सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देते हैं।

जनसंख्या में पिछड़े वर्गों के अनुपात को प्रतिबिंबित करने के लिए आरक्षण प्रतिशत को न्यायिक सीमा 50% से आगे बढ़ाने की मांग बढ़ रही है।

अवसर की समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आरक्षण में 85% तक की वृद्धि को इस अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। फिर भी, वंचितों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से ठोस समानता की आवश्यकता है।

From Page One

जीएसटी परिषद ने दो दरों वाले कर स्लैब को मंजूरी दी

एयर कंडीशनर, सभी टीवी, विशेषशर, छोटी कारें और 350 सीसी का उत्सर्व कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों जैसे उत्पादों पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। बसों, ट्रकों और एव्युलेट के साथ-साथ सभी अंटो पार्ट्स पर भी 18% की जीएसटी दर लागू होगी। इस सुधार के लिए चश्मे पर 28% की दर से 5% की दर लागू होगी।

सुधी सीतारमण ने कहा, "मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढाढ़े में सुधार किया जा रहा है, जिसमें मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।" उत्कर्ष से संबंधित उलटे शुल्क ढाढ़े में भी सुधार किया जाएगा, जिसमें सल्पारिक एसेंड, नाइट्रिक एसेंड और अमोनिया पर शुल्क 18% से घटाकर 5% किया जाएगा।

40% की विशेष दर के लिए विशेष पाप और अति-विलासिता वस्तुओं जैसे पान मसाला, सिगरेट, गुरुखा, चबाने योग्य तंबाकू, जटा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर लागू होगी, साथ ही वातित जल, कैफिनयुक्त पेपर पार्थ, मध्यम या बड़ी कारें, 350 सीसी से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलों आदि पर भी लागू होगी।

बीमा सेवाओं, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटकर 0% हो जाएगी।

सुधी सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, गुरुखा, सिगरेट, चबाने योग्य और अनिर्मित तंबाकू, और बीड़ी पर जीएसटी की दर क्षतिपूर्ण उत्पकर के अलावा 28% ही रहेंगी। जब केंद्र राज्यों को साक्षितात्मक लिए लिए गए क्रौंचों का भुगतान करेगा, तो ये तंबाकू और तंबाकू से संबंधित वस्तुएं 40% की श्रेणी में आ जाएंगी।

'राज्यपालों को विधेयकों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए'

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह प्रावधान राज्य विधेयकों पर "सूर्योदय" की तरह काम करता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने बीच में ही कहा, "लेकिन रोकथाप इलाज से बेहतर है, है ना?"

श्री सिल्वल ने उत्तर दिया कि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के साथ संवैधानिकता की एक पूर्वधारणा जुड़ी होती है। राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति का उल्लेख कभी दुलभ उदाहरण हआ करते थे। उन्होंने जवाब दिया, "अब, राज्यपाल वर्षों तक विधेयकों पर बैठकर विवाद पैदा करते हैं। विधेयकों की संवैधानिकता के बारे में उनका सदैव, खासकर दोबारा पारित विधेयकों के मामले में, एक ढोंग है... अनुचित 200 के तहत राज्यपालों को राज्य विधेयकों को मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार विवेकाधीन विकल्प नहीं, बल्कि संवैधानिक मार्ग है।"

वरिष्ठ अधिकारी गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कनाटक के बौलील ने कहा कि राज्य विधानसभा अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों को अपनी विधायी शक्तियों का अतिक्रम करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि केंद्र का वह तर्क कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, "मूल रूप से त्रुटियाँ हैं।"

"लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में, मन्त्रिमंडल की सहायता और सलाह केंद्रीय होती है। विवेकाधीन राज्य में दृष्टि शासन नहीं हो सकता। राज्यपालों को राज्य सरकार की सहायता और सलाह के अधीन कार्य करना होता है। शासन नियंत्रण संघर्ष या संघर्ष के खतरे की स्थिति में नहीं चल सकता," श्री सुब्रमण्यम ने तर्क दिया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री, अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपालों की कानून निर्माण में कोई भूमिका होती है।

उत्तर भारत में भारी बारिश से कई लोगों की मौत

हरियाणा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभारात हो गया। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश गंगवा ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और राज्य भर में पेयजल की नियंत्रण आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का आदेश दिया।

दिल्ली से सटे इलाके में, उफनती धूमना ने बाढ़ के मैदानों में बसे घरों को जलभार कर दिया। वजीराबाद और हाथीकुड़ी बैराजों से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी उफन कर थी और शहर में खतरे के निशान को पार कर गई।

जम्मू-कश्मीर में, सभी स्कूल और श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि नदियों और नालों में भारी पानी छोड़े जाने और भूस्तर के रियासी, राजीव, किश्तवाड़, दूरा और जम्मू में कई पुल और अंतर्राजिला सड़कों की क्षतिग्रस्त हो गई। कश्मीरी घाटी में, कुलागाम और शांतियां जिलों में सड़कों की क्षतिग्रस्त हो गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सर्कार द्वारा नहीं हो गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारियों को चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

विदेशी कंपनियों ने पहली तिमाही में भारत में परियोजनाएं रोक दी

ईवान इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी.के. श्रीवास्तव ने द हिंदू को बताया, "यह काफी हद तक टैरिक अनिश्चितताओं का असर है।" हालांकि, श्री श्रीवास्तव को विश्वास था कि टैरिक पर स्पष्टता आने के बाद इन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा वापस आ जाएगा।

पहली तिमाही में भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का मूल्य ₹ 22,490 करोड़ था। हालांकि यह पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में लगभग 50% अधिक था, ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल-जून 2024 तिमाही में पिछले वर्ष के आम चुनाव के कारण समग्र निवेश में मंदी देखी गई थी। पहली तिमाही में विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का मूल्य दीर्घकालिक तिमाही औसत से 56% कम था।

विदेशी कंपनियों ने कहा कि विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का मूल्य ₹ 22,490 करोड़ था। हालांकि यह पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में लगभग 50% अधिक था, ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल-जून 2024 तिमाही में पिछले वर्ष के आम चुनाव के कारण समग्र निवेश में मंदी देखी गई थी। पहली तिमाही में विदेशी कंपनियों द्वारा घोषित नई परियोजनाओं का मूल्य दीर्घकालिक तिमाही औसत से 56% कम था।

जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री से मुलाकात की, यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया

विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा, क्योंकि यह 'एक ऐसा सहारा है जिसकी आज विश्व अर्थव्यवस्था को सचमुच ज़रूरत है'; यात्रा पर आए जर्मन मंत्री ने रूसी और चीनी आक्रमकता को सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां बताया

Suhasini Haidar
NEW DELHI



कॉमन कॉर्झः नई दिल्ली में अपने जर्मन समकक्ष जोहान वेडफुल के साथ बैठक के दौरान एस. जयशंकर। पौटीआइ

उन्होंने आगे कहा कि मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करेगा, क्योंकि यह 'एक ऐसा सहारा है जिसकी आज विश्व अर्थव्यवस्था को सचमुच ज़रूरत है।'

भारत और जर्मनी की बैठक के बारे में दोनों पक्षों ने अधिक अस्थिरता और राजनीतीक अनिश्चितता की "दोहरी चुनौतियां" पर चर्चा की। जयशंकर ने अमेरिका द्वारा 50% टैक्स और प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में यह बात कही।

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, श्री वेडफुल ने रूसी और चीनी अंटो पार्ट्स की अतिरिक्त व्यापार वार्ता की तरह लोकों के बीच खाद्य और डेयरी उत्पादों के लिए कृषि बाजार पहुँच जैसे मुद्दों पर मतभेद हैं।

व्यापार वार्ताकारों के बीच अगले दौर की बात कि जिक्र करते हुए, श्री जयशंकर ने कहा, "हम चाहते हैं कि [भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों] आने वाले दिनों में एक नियंत्रित निष्कर्ष पर पहुँचें।"

भारतीय और यूरोपीय संघ के बारे में तेज़ी ला दी है और उन्हीं ने कि वे नियमित रूप से, सभवक हर महीने, बैठके करेंगे ताकि यूरोपीय संघ की अधिक्षक उर्सुला वॉन डेर लेनें और प्रधानमंत्री ने नेट्रोने द्वारा देशों के बीच एक संघर्ष के तरह कहा है।

भारतीय और यूरोपीय संघ के बारे में तेज़ी ला दी है और उन्हीं ने कि वे नियमित रूप से, सभवक हर महीने, बैठके करेंगे ताकि यूरोपीय संघ की अधिक्षक उर्सुला वॉन डेर लेनें और प्रधानमंत्री ने नेट्रोने द्वारा देशों के बीच एक संघर्ष के तरह कहा है।

भारतीय और यूरोपीय संघ के बारे में तेज़ी ला दी है और उन्हीं ने कि वे नियमित रूप से, सभवक हर महीने, बैठके करेंगे ताकि यूरोपीय संघ की अधिक्षक उर्सुला

📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

🌐 **कृपया इस वेबसाइट <https://epapers.netlify.app/>** को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

🎯 **लक्ष्य:** जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!

CLICK HERE



धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

केंद्र सरकार ने 9 जनवरी, 2015 से पहले आए श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को दंडात्मक प्रावधानों से छूट दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2015 से पहले भारत आए श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज़ या वीज़ के बिना पाए जाने पर दंडात्मक प्रावधानों से छूट दी है।

भारत शरणार्थियों को मान्यता नहीं देता है और इस छूट का अर्थ यह है कि सरकार के पास पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

इससे पहले, 16 दिसंबर, 2015 को, मंत्रालय ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, 9 जनवरी, 2015 से पहले आए और स्वेच्छा से श्रीलंका लौटने का विकल्प चुनने वाले श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए वीज़ शूट और निधिरित अवधि से अधिक ठहरने का जुर्माना माफ़ करने का नियम लिया था।

अप्रैल में लागू किए गए आवजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत, बिना पासपोर्ट या वैध दस्तावेज़ों के विदेशियों के प्रवेश और ठहरने पर ₹5 लाख का जुर्माना या पांच साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान किया गया था।

इस अधिनियम ने विदेशियों के प्रवेश और ठहरने तथा आवजन से संबंधित प्रावधानों को निधिरित करने वाले चार कानूनों को निरस्त और प्रतिस्थापित किया।

2 सितंबर को राजपत्र में अधिसूचित आवजन और विदेशी (छूट) आदेश, 2025 में कहा गया है, "भारत में रहने की अवधि और भारत से बाहर



एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि आवजन एवं विदेशी (छूट) आदेश के तहत दी गई छूट का उद्देश्य तीन देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के उन अनिवार्य प्रवासियों को दीर्घकालिक वीज़ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, "जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के दृष्ट से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था", जो नागरिकता प्राप्त करने का एक पूर्णिका है।

'बढ़ाई नहीं'
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई है।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। बुधवार को, पश्चिम बंगाल से केंद्रीय राज्य मंत्री सुकान्त मत्तुमदार ने एकस पर एक पोर्ट हटा दी, जिसमें अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया गया था।

बाद में उन्होंने स्पष्ट किया, "बात यह है कि जो लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुके हैं... उन्हें निर्वासित नहीं किया जाएगा यदि वे 31 दिसंबर, 2024 तक प्रवेश कर चुके हैं। बात यह है कि यदि उन्हें निर्वासित नहीं किया जाता है, तो वे प्राकृतिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारत के नागरिक बन जाएंगे।"

नागरिकता अधिनियम, 1955, भारत में कुल 11 वर्षों तक रहने वाले आवेदकों को प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

गतिशीलता संबंधी समस्याओं से मुक्त यात्री क्षीलचेयर के लिए भुगतान कर सकते हैं: डीजीसीए

प्रस्ताव का उद्देश्य क्षीलचेयर के दुरुपयोग को रोकना है और यह प्राधिकरण द्वारा जारी मसौदा मानदंडों का हिस्सा है; बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हवाई अड्डों पर क्षीलचेयर की कमी के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया था।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने क्षीलचेयर के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए एयरलाइनों को बिना किसी गतिशीलता संबंधी समस्या या विकलांगता वाले यात्रियों को सशुल्क सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें विकलांग या सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों को मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी शारीरिक या मानसिक चुनौती की पुष्टि हेतु दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

डीजीसीए का सुझाव है कि हवाई अड्डों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डे के प्रवेश द्वारों पर कार छोड़ने के स्थान विशेष आवश्यकता वाले हवाई यात्रियों के लिए निर्धारित हैं, और ये बिना किसी बाधा के उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। हवाई अड्डों को सहायता प्रदान करने और एयरलाइनों के साथ समन्वय करने के लिए इन स्थानों पर कर्मचारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता सहित सकती है।

ये प्रस्ताव विकलांग और कम गतिशीलता वाले हवाई यात्रियों के लिए संशोधित मसौदा नियमों का हिस्सा हैं, जिन्हें विमानन सुरक्षा नियमक ने 19 सिंतंबर तक हितधरकों की टिप्पणियों के लिए जारी किया है। संशोधित मानदंड 25 सिंतंबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई से पहले सार्वजनिक किए गए हैं। न्यायालय ने अप्रैल में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोदा रघुराम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य क्षीलचेयर की उपलब्धता और वरिष्ठ नागरिकों तथा विशेष आवश्यकता वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना था। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि पर्याप्त सुविधाओं तक पहुँच ऐसे व्यक्तियों का "मीलिक मानवाधिकार" है।

नया प्रस्ताव

नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) के मसौदे में खंड 4.1.37 में कहा गया है, "एयरलाइन विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य यात्रियों से, जो इन सेवाओं का उपयोग करना चुनते हैं, उचित सहायता शुल्क ले सकती है।" सिंगापुर एयरलाइंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस "मिले और सहायता सेवाएँ" प्रदान करती हैं, जिनमें बुर्जग और अंग्रेजी न बोलने वाले यात्रियों या सर्वेदी विकलांगता या संदानामाक अक्षमताओं वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग, उतराई या उड़ान स्थानांतरण के दौरान सहायता शामिल है, साथ ही बड़े और अपरिचित हवाई अड्डों पर नेविगेशन में सहायता भी शामिल है, जहाँ यात्रियों को क्षीलचेयर की आवश्यकता नहीं होती।

इस कदम का उद्देश्य क्षीलचेयर के दुरुपयोग को रोकना है ताकि एयरलाइनों और हवाई अड्डों के पास सीमित मात्रा में क्षीलचेयर उन लोगों को उपलब्ध कराएं जा सकें जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। एयरलाइनों द्वारा इसकी सुचाना मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में दी जाती है, हालांकि घरेलू उड़ानों में भी क्षीलचेयर न देने के कई मामले सामने आए हैं।

विकलांगता अधिकार गठबंधन की सदस्य वैष्णवी जयकुमार कहती हैं, "बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिनमें कर्बसाइड सहायता और एम्बुलिफ्ट की कमी शामिल है, जिसके कारण क्षीलचेयर पर सवार यात्रियों को सीढ़ी से नीचे इस तरह ले जाया जाता है जो न केवल अपमानजनक और असुविधाजनक है, बल्कि असुविधा ही है। इसके अलावा, सभी वरिष्ठ नागरिकों को क्षीलचेयर की आवश्यकता या इच्छा नहीं हो सकती है, उनके लिए गोल्फ कार्ट या बग्गी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "पिछले सीएआर संशोधन में अत्यधिक भेदभावपूर्ण फिट-टू-फ्लाई प्रावधान की तरह, यह अशुभ है कि नवीनतम प्रावधान एक व्यापक यात्री सुविधा प्रोटोकॉल के बजाय विकलांगता-केंद्रित दस्तावेज में दिखाई देता है।"

स्वास्थ्य मंत्रालय नई दवाओं और परीक्षणों के लिए लाइसेंस नियमों को आसान बनाने की योजना बना रहा है।

दवा और नैदानिक अनुसंधान क्षेत्रों में व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन करने जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों को 28 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं।

इन संशोधनों का उद्देश्य परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने और जैवउपलब्धता एवं जैवसमतुल्यता पर अध्ययन से संबंधित आवेदन जमा करने की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक विज्ञाप्ति के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में परीक्षण लाइसेंस और जैवउपलब्धता एवं जैवसमतुल्यता पर अध्ययन के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है।

अधिसूचना प्रणाली

बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन के तहत, परीक्षण लाइसेंस की वर्तमान प्रणाली को अधिसूचना और सूचना प्रणाली में बदल दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा, "इसके जरिए, आवेदकों को परीक्षण लाइसेंस (उच्च जोखिम वाली दवाओं की एक छोटी श्रेणी को छोड़कर) के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें केवल केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षण लाइसेंस आवेदनों के लिए कुल वैधानिक प्रक्रिया समय 90 दिनों से घटकर 45 दिन हो जाएगा।"

इस प्रकार, संशोधन के तहत, जैवउपलब्धता/जैव तुल्यता अध्ययनों की कुछ श्रेणियों के लिए मौजूदा लाइसेंस आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और इसके बजाय केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना या अधिसूचना प्रस्तुत करने पर ये अध्ययन शुरू किए जा सकेंगे। इन नियमक सुधारों से आवेदनों के प्रसंस्करण की समयसीमा में उल्लेखनीय कमी आने से हितधारकों को लाभ होने की उम्मीद है। इनसे परीक्षण लाइसेंस के लिए जमा किए जाने वाले आवेदनों की संख्या में भी लगभग 50% की कमी आएगी।

राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में निजी क्षेत्र के बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका: वित्त मंत्री

The Hindu Bureau

CHENNAI

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मंगलवार को चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक (सीयूबी) के 120वें राष्ट्रपति दिवस समारोह में बोलते हुए, स्थानीय सीतारमण ने कहा कि भारतीय अनुरूपित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में भारी सुधार दर्ज किया है।

"हमारे द्वारा किए गए वृहद दबाव परीक्षण से ऐसे परिणाम सामने आए हैं कि अनुरूपित वाणिज्यिक बैंकों का कुल पूँजी स्तर प्रतिकूल दबाव परिवर्त्यों में भी नियमक न्यूनतम से ऊपर बढ़ा रहे।"

लगभग रिकॉर्ड निम्न एनपीए वाले मजबूत और अच्छी तरह से पूँजीकृत बैंकों का अर्थ है परिवारों, एमएसएमई और बुनियादी ढाँचे

QQ The macro stress test that we do has shown such results that the scheduled commercial banks' aggregate capital levels will continue to remain above the regulatory minimum even under adverse stress scenarios

NIRMALA SITHARAMAN
Union Finance Minister



परिवर्तन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, अध्यक्ष द्वायपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बैंकिंग उद्योग उसकी विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपने स्वागत भाषण में, सीयूबी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कामकोड़ी ने 1904 में स्थापित बैंक की 120 साल पुरानी विरासत और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को याद किया।

कार्यक्रम के दौरान, "बैंक आ॒न द॑बैंक्स ऑफ कॉर्पोरेशन" नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रावि, समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता मंत्री पी. गीता जीवन और सीयूबी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष जी. महालिङम भी उपस्थित थे।

एक संघीय अमील अदालत ने फैसला सुनाया है कि दुनिया भर के देशों पर श्री ट्रूप द्वारा लगाए गए द्वारा द्वारा लगाए गए अधिकार अवैध हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह मामला दूसरे देशों द्वारा "प्रायोजित" है क्योंकि "वे हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "वे अब और फ़ायदा नहीं उठाएंगे।"

चीनी श्री कल्याणरामन ने एक प्रवचन में कहा कि कवि कंबर ने अपनी रचना कम राष्ट्रायणम से गेंडर भौमिका कथा प्रयोग कर्त्ता संदर्भों में एक रूप के रूप में किया है। इस रूपक में, राजा दशरथ की तुलना एक हाथी से गेंडर की गई है, जो मगरमच्छ कैंकड़ी द्व

जेन स्ट्रीट ने मूल्य हेरफेर मामले में सेबी के खिलाफ SAT का दरवाजा खटखटाया

फर्म ने एकीकृत निगरानी विभाग की पूरी रिपोर्ट और सेबी का एनएसई के साथ पत्राचार मांगा है; सैट की सुनवाई 8 सितंबर को

बिजनेसलाइन द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिका स्थित हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप ने बाजार में हेरफेर के एक चल रहे मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) का रुख किया है।

बुधवार को दायर की गई अपील में कहा गया है कि सेबी ने फर्म के बचाव के लिए "महत्वपूर्ण और प्रारंभिक दस्तावेजों" तक पहुँच देने से इनकार कर दिया है।

जेन स्ट्रीट ने सेबी के एकीकृत निगरानी विभाग (आईएसडी) की पूरी रिपोर्ट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बीच उसके कारोबार से संबंधित सभी पत्राचार सहित रिकॉर्ड की पूरी जाँच के निर्देश मांगे हैं।

जेन स्ट्रीट ने कहा कि सेबी ने अपनी जाँच टीम और एनएसई के पहले के निष्कर्षों को छोड़ दिया है, जिसमें कोई मूल्य हेरफेर नहीं पाया गया था। फर्म ने कहा कि आईएसडी द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने के निष्कर्ष के बावजूद, नियामक ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपना रुख बदल दिया।

जेन स्ट्रीट ने अपनी अपील में आईएसडी के दिसंबर 2024 के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, "90% से ज्यादा मामलों में, यह साबित नहीं हो सका कि जेन स्ट्रीट समूह की व्यापारिक गतिविधि उसके घटकों/सूचकांक के मूल्य में इस तरह से बदलाव के कारण हुई है जिससे डेरिवेटिव सेगमेंट में समूह के अन्य सदस्यों की खुली पोर्जीशन को फ़ायदा हुआ हो।"

इसके अलावा, जिन पाँच मामलों में सूचकांक की कीमतें उनके पक्ष में गई, वहाँ लाभ नगण्य था। सैट ने मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की है।

इस मामले पर स्पष्टीकरण के अनुरोध का न तो जेन स्ट्रीट और न ही सेबी ने कोई जवाब दिया।

(लेखक द हिंदू बिजनेसलाइन से जुड़े हैं)

'इंट्राडे पोजीशन सीमा पर सेबी ढांचा हेरफेर को रोकेगा'

विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किसी इकाई स्तर पर इंडेक्स इक्विटी डेरिवेटिव्स की इंट्राडे पोजीशन सीमा बढ़ाने के लिए अपनाए गए ढांचे से निगरानी बढ़ी और हेरफेर मुश्किल होगा।

आनंद जाठी वेल्थ लिमिटेड के संयुक्त सीईओ फिरोज अज्जीज ने कहा, "कम इंट्राडे कैप से व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित होतीं और तरलता प्रभावित होती। चुनी गई सीमा बाजार निर्माताओं और संस्थान खिलाड़ियों को सब कुछ स्पष्ट निगरानी वाली सीमाओं के भीतर रखते हुए काम करने की गुणाइश देती है।"

शार्ट्स अमरचंद मंगलदास के प्रतिभूति वकील और पार्टनर योगेश चंदे ने कहा, "इससे किसी बड़े खिलाड़ी के लिए बाजार में हेरफेर करने की सभावना अवरुद्ध हो जाती है और मूल्य निर्धारण को विकृत करना मुश्किल हो जाता है।"

नियामक ने वास्तविक समय में एकल संस्थाओं की पोजीशन सीमा की निगरानी करने का भी निर्णय लिया।

श्री चंदे ने कहा, "वास्तविक समय की निगरानी जोखिम की सटीक तस्वीर प्रदान करती है और विश्वास और भरोसा बनाने में मदद करती है, जिससे किसी भी दिन किसी विशेष समय पर बेहतर जोखिम के साथ बाजार अधिक निष्पक्ष बनता है।"

इसके अलावा, ओपन इंटरेस्ट के जोखिम की गणना एक नई डेल्टा-आधारित पद्धति के आधार पर की जाएगी, जो विकल्प अनुबंधों का अधिक जोखिम-भारित दृष्टिकोण है।

श्री चंदे ने कहा, "डेल्टा-आधारित दृष्टिकोण प्रत्येक स्थिति को उसके डेल्टा मान के आधार पर तैयार करता है, जिससे बाजार के वास्तविक आर्थिक जोखिम का पता चलता है। इसलिए, यह दृष्टिकोण इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि सभी अनुबंध समान नहीं होते हैं या उनमें समान जोखिम नहीं होते हैं। संशोधित दृष्टिकोण खुदरा निवेशकों की भी रक्षा करता है और मौजूदा ढांचे के दुरुपयोग से बचाता है, क्योंकि यह इसमें शामिल जोखिम को अधिक सटीक रूप से समझता और कल्पना करता है।"

IN BRIEF



नए ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि से सेवा पीएमआई 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर

एक मासिक सर्वेक्षण में बुधवार को कहा गया कि मांग की स्थिति में पर्याप्त सुधार के बीच नए ऑर्डरों और उत्पादन में तेज वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि पैनल के सदस्यों ने एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका में ग्राहकों की ओर से अधिक मांग का स्कैप दिया। एचएसबी इडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई के 60.5 से बढ़कर अगस्त में 62.9 हो गया, जो जून 2010 के बाद से विस्तार की सबसे तेज दर को दर्शाता है।

भारत, ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा

स्विट्जरलैंड ने बुधवार को कहा कि भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए के बीच 1 अक्टूबर से लागू होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में कानूनी रूप से बाथकारी प्रावधान होंगे। उसने एक बयान में कहा, "पहली बार, भारत ने एक मुक्त व्यापार समझौते में व्यापार और सतत विकास पर कानूनी रूप से बाथकारी प्रावधान निर्धारित किए हैं।" यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य आइसलैंड, लिकटेन्टन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए पैनल गठित किया

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने विनिर्माण इकाइयों के सम्में आ रही कर और नियर्त मंजूरी संबंधी समस्याओं की जाँच करने और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के बीच व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में वित्त मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य विभाग, DGFT और RBI के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी

The Hindu Bureau
NEW DELHI

हेतु ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को द्वितीयक सोमातों से महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण की प्राप्ति शामिल है। यह

प्रोत्साहन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)

का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मूदा तत्वों जैसे जीवन-अंत उत्पादों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति शामिल है। यह

वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित, इं-

कचरा, लिथियम-आयन बैटरी (एलआईबी) स्क्रैप, और जीवन-अंत वाहनों में उत्प्रेरक

कनवर्टर के रूप में अन्य स्टॉक पात्र फ़िडस्टॉक के रूप में योग्य होंगे।

यह योजना कुल परिव्यय का एक-तिहाई छोटे और नए लाभाधियों के लिए निर्धारित

करती है, हालांकि लाभाधियों में बड़े और स्पष्टकर्कक दोनों शामिल हो सकते हैं। सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि पात्र संस्थाओं को नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

कृपया इस वेबसाइट <https://epapers.netlify.app/> को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

लक्ष्य: जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ।

धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

CLICK HERE

शी जिनपिंग ने चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, रूस और उत्तर कोरिया के नेता देख रहे थे

यह कार्यक्रम द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था और इसमें परमाणु क्षमता संपन्न आईसीबीएम और हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई हथियारों का अनावरण किया गया; ट्रंप ने कहा कि वह पुतिन से 'निराश' हैं

Vighnesh P. Venkitesh
BEIJING

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को कहा कि मानवता के समने शांति या युद्ध में से एक विकल्प है। बीजिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जीत की 80वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जांग-उन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य नेताओं की अध्यक्षता में तियानमेन चौक पर एक सैन्य परेड का आयोजन किया गया।



संयुक्त मोर्चा: शी जिनपिंग (बीच में) और अन्य नेता बुधवार को बीजिंग के तियानमेन मंच की ओर पैदल यात्रा करते हुए। विशेष व्यवस्था

मिसाइलों सहित कई हथियारों का अनावरण भी किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत शी शी जिनपिंग द्वारा विश्व नेताओं का अभिवादन करने के साथ हुई। अधिकांश विश्व नेता सप्ताहात में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद यहीं रुक गए थे, जबकि शी विन अपनी बेटी के साथ मंगलवार शाम को पहुँचे, जिसका विवरण

गोपनीय रखा गया था। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो बुधवार सुबह-सुबह पहुँचे, जोकि उनके देश में दोगों के कारण उनकी यात्रा शुरू में स्थगित कर दी गई थी।

पेरेड में अनावरण की गई परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों में तरल ईंधन से चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक परमाणु DF-5C भी शामिल थी, जो "दुनिया में कहीं भी" हमला करने में सक्षम है। हालांकि इसकी रेंज और अन्य क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इसके पुरुषों की रेंज 12,000 किमी से भी ज्यादा है। हवा से प्रवर्षित की जाने वाली JL-1 और पार्सुली से प्रक्षेपित की जाने वाली JL-3 मिसाइलों ने ज़मीन, हवा और समुद्र में बीजिंग की परमाणु क्षमताओं के प्रदर्शन को पूरा किया। इस कार्यक्रम में लेकि दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलों का भी अनावरण किया गया।

पेरेड के बाद एक रेडियो स्टेशन से बात करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वह शी पुतिन से "बहुत निराश" हैं, जोकि यहें के बाद से लगभग 40,500 बच्चों को "नई युद्ध-संबंधी लोग" लगाए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा विकलांग हो गए हैं।

फ्रिलिस्टीनी क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, समिति ने कहा कि गाजा में सेना के हमले के दौरान इजराइली निकासी औरेश श्रवण या दृश्य बाधित लोगों के लिए "अस्तर दुर्गम" थे, जिससे "निकासी असंभव हो गई"।

(लेखक चाइना पब्लिक डिलोमेसी एसोसिएशन के निमंत्रण पर चीन में हैं)

गाजा युद्ध में कम से कम 21,000 बच्चे विकलांग हुए: संयुक्त राष्ट्र

Agence France-Presse
GENEVA



विकलांग परिस्थितियां: युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 40,500 बच्चों को "युद्ध से संबंधित नई लोटों" लगाए हैं। एकमात्र

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विकलांग लोगों को असुरक्षित और असमानजनक परिस्थितियों में, जैसे बिना गतिशीलता सहायता के बीच हुए, भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इस बीच, समिति ने कहा कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहचाने पर लगे प्रतिबंधों का विकलांगों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा है।

समिति ने कहा, "विकलांग लोगों को सहायता में भारी व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोग भोजन, सच्च धनी या स्वच्छता के बिना रह गए और जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए।"

समिति ने कहा कि 83% विकलांग लोगों ने अपने सहायक उपकरण खो दिए हैं, और अधिकांश लोग गंधारी जैसे विकल्प खरीदने में असमर्थ हैं।

👉 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

🌐 **कृपया इस वेबसाइट <https://epapers.netlify.app/>** को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

⌚ **लक्ष्य:** जैसे ही 1,000 छात्र जुड़ेंगे, आपको हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएं!

CLICK HERE ➔

📚 धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

अमेरिकी न्यायाधीश ने एंटीट्रस्ट मामले में जीत हासिल करते हुए कहा कि गूगल को क्रोम बेचने की ज़रूरत नहीं है

एक अमेरिकी न्यायाधीश ने मंगलवार को एक बड़े प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामले में सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें गूगल से अपने क्रोम ब्राउज़र को बेचने की मांग की गई थी, लेकिन ऑनलाइन सर्च में प्रतिस्पर्धा बहाने के लिए व्याक शर्तें लागू करने

यह ऐतिहासिक फैसला न्यायाधीश अमित मेहता द्वारा अगस्त 2024 में दिए गए उस फैसले के बाद आया जिसमें उन्होंने पाया कि गूगल ने सालाना अरबों डॉलर के अन्य वितरण समझौतों के माध्यम से ऑनलाइन सर्च में अवैध रूप से एकाधिकरण बनाया रखा है।

गूगल की नियामक मामलों की उपाध्यक्ष ली-एन मूलहोलैंड ने कहा कि कंपनी को इस बात की "वित्ता" है कि सर्च डेटा साझा करने और सेवाओं के वितरण को सीमित करने की अदालत द्वारा लगाई गई शर्तें उपयोगकर्ता की गोपनीयता को कैसे प्रभावित करेंगी।

हालांकि, मंगलवार का फैसला कुछ पर्यवेक्षकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उत्तरा, जिन्होंने गूगल में और अधिक आमूल-चूल बदलावों की उम्मीद की थी।

अमेरिकी सरकार ने क्रोम के विनियोग पर जोर दिया था, यह तक देते हुए कि यह ब्राउज़र इंटरनेट गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारा के रूप में कार्य करता है और सभी गूगल वेब सर्च का एक तिहाई हिस्सा प्रदान करता है।

लेकिन अपने फैसले में, मेहता ने चेतावनी दी कि क्रोम का विनियोग "बेहद अव्यवस्थित और अत्यधिक जोखिम भरा होगा" और कहा कि अमेरिकी वकीलों ने अपनी सीमा पार कर ली है।

यह मामला गूगल के वितरण समझौतों पर केंद्रित था, जिसके तहत गूगल ने एप्पल, सैमसंग और अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं को आईफोन और अन्य उपकरणों पर डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में गूगल को स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर का भुगतान किया था।

To Read UPSC Edition on daily basis with MCQ's so please message at 8168305050

